21वीं सदी के पूर्वार्ध में बच्चे

2018

भारत में बच्चों के प्रति अपराध

अपराध के दर्ज प्रकरणों का राष्ट्रीय और राज्यवार विश्लेषण

सन्दर्भ अवधि - वर्ष 2001 से 2016

विकास संवाद | मध्यप्रदेश

पूर्व घोषणा

- बच्चों के प्रति अपराध की स्थिति का यह विश्लेषण नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के द्वारा जारी रिपोर्ट्स के आधार पर किया गया है.
- इस विश्लेषण के लिए वर्ष 2001 से 2016 तक की जानकारियों/आंकड़ों का सन्दर्भ लिया गया है.
- चूंकि हमारी मौजूदा व्यवस्था हर स्तर, हर विषय और हर पहलू को प्रतिशत, वृद्धि दर और आंकड़ों के माध्यम से ही प्रस्तुत करती है और इसी रूप में समझती है; इसलिए बच्चों के प्रति अपराध की स्थिति में बदलाव/कमी-वृद्धि को मापने के लिए हमने उन्ही मानकों का उपयोग किया है.
- यदि कहीं पर कोई विसंगति लगती है को एन सी आर बी की मूल दस्तावजों का संज्ञान/सन्दर्भ लिया जाना चाहिए.

मुख्य निष्कर्ष

बच्चों के प्रति कुल अपराध (दर्ज़)

- भारत में वर्ष 2001 में बच्चों के प्रति अपराध के 10814 मामले दर्ज थे. जो वर्ष 2016 तक बढ़कर 106958 जो गए. यह वृद्धि 889 प्रतिशत है.
- इन सोलह वर्षों में देश में बच्चों के प्रति अपराध के कुल 595089 मामले दर्ज किये गए. इनमें से सबसे ज्यादा मामले मध्यप्रदेश (95324), उत्तरप्रदेश (88103), महाराष्ट्र (74306), दिल्ली (59347) छत्तीसगढ़ (31055) में दर्ज किये गए.
- इस अवधि में कर्नाटक में ऐसे दर्ज अपराधों की संख्या 72 से बढ़ कर 4455 (6088 प्रतिशत), ओड़ीसा में 68 से बढ़कर 3286 (4732 प्रतिशत), तमिलनाडु में 61 से बढ़कर 2856 (4582 प्रतिशत), महाराष्ट्र में 1621 से बढ़कर 14559, उत्तरप्रदेश में 3709 से बढ़कर 16079 (334 प्रतिशत) और मध्यप्रदेश में 1425 से बढ़कर 13746 (865 प्रतिशत) हो गई.

बच्चों से बलात्कार और यौन अपराध (दर्ज़)

- बच्चों से बलात्कार और गंभीर यौन अपराधों की संख्या वर्ष 2001 से 2016 के बीच 2113 से बढ़कर 36022 हो गई. यह वृद्धि 1705 प्रतिशत रही.
- वर्ष 2011 से 2016 के बीच के सोलह वर्षों में भारत में बच्चों के बलात्कार और यौन अपराध के कुल 153701 मामले दर्ज किये गए. इनमें से सबसे ज्यादा प्रकरण मध्यप्रदेश (23659), उत्तरप्रदेश (22171), महाराष्ट्र (18307), छत्तीसगढ़ (9076) और दिल्ली (7825) दर्ज किये गए.
- इस अवधि में बच्चों से बलात्कार और यौन अपराधों के दर्ज मामलों में कर्नाटक में संख्या 11 से बढ़कर 1565 (14227 प्रतिशत वृद्धि) हो गई. ओड़ीसा में 17 से बढ़कर 1928 (11341 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल में 12 से बढ़कर 2132 (17767 प्रतिशत) राजस्थान में 35 से बढ़कर 1479 (4226 प्रतिशत), उत्तरप्रदेश में 562 से बढ़कर 4954 (881 प्रतिशत) हो गई.

बच्चों का अपहरण (दर्ज़)

- भारत में वर्ष 2016 में 54723 बच्चों के अपहरण के मामले दर्ज हुए, जबकि वर्ष 2001 में ऐसे दर्ज मामलों की संख्या 2845 थी. इस सोलह सालों में बच्चों के अपहरण के मामलों में 1823 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
- वर्ष 2016 में बच्चों के अपहरण के 54723 मामलों में से 39842 (73 प्रतिशत) लड़कियां थी. इनमें से 16937 का अपहरण शादी के मकसद से किया जाना दर्ज किया गया है.
- वर्ष 2001 से 2016 के बीच भारत में 249383 बच्चों का अपहरण हुआ. इनमें 56 प्रतिशत मामले तो केवल उत्तरप्रदेश (45953), दिल्ली (43175), महाराष्ट्र (25626) और मध्यप्रदेश (23563) में ही दर्ज हुए हैं.

बच्चों के प्रति अपराध के अदालतों में लंबित मामले

- भारत में बच्चों से अपराध के अदालत में लंबित मामलों की संख्या (जिनका परीक्षण पूर्ण बाकी था) वर्ष 2001 के 21233 लंबित प्रकरणों की संख्या सोलह सालों में वर्ष 2016 तक लगभग 11 गुना बढ़कर 227739 हो गई.
- मध्यप्रदेश में वर्ष 2001 में बच्चों के प्रति अपराध से सम्बंधित 2065 मामले अदालत में परीक्षण के लिए लंबित थे, जो वर्ष 2016 तक बढ़कर 31392 हो गए. यानी केवल अपराध ही नहीं बढ़े, बल्कि लंबित मामलों में ही 1420 प्रतिशत की वृद्धि हो गई. वर्ष 2016 में एक साल में राज्य में कुल 5444 मामलों में परीक्षण पूरा हो पाया और इनमें से 30 प्रतिशत यानी कि 1642 की अपराधी पाये गए.
- महाराष्ट्र में सोलह सालों में अदालतों में लंबित प्रकरणों की संख्या 3999 से बढ़कर 37125 हो गई. उत्तरप्रदेश में लंबित प्रकरणों की संख्या 275 प्रतिशत बढ़ी और संख्या 10597 से बढ़कर 39749 हो गई. इसी तरह गुजरात में यह संख्या 830 से बढ़कर 12035 हो गई.
- बच्चों के प्रति अपराध के मामले में परीक्षण पूरा होने के बाद ज्यादातर लोग दोषमुक्त करार दिए जाते हैं. इसका मतलब यह है कि पहले तो जांच-पड़ताल को कमज़ोर किया जाता है और फिर न्यायिक प्रक्रिया के कमजोरियों से आरोपी स्वतंत्र हो जाते हैं. वर्ष 2001 में भारत के स्तर पर 3231 मामलों में न्यायिक परीक्षण पूर्ण हुआ, जिसमें से 1531 (74.4 प्रतिशत) मामलों में किसी को सजा हुई. मध्यप्रदेश में 404 मामलों में परीक्षण पूर्ण हुआ और 157 (38.9 प्रतिशत) मामलों में ही किसी को दोषी करार दिया गया. बिहार में 15 में से 2 (13.2 प्रतिशत, आँध्रप्रदेश में 77 में से 7 (9.1 प्रतिशत), महाराष्ट्र में 263 में से 37 (14.1 प्रतिशत और दिल्ली में 132 में से 42 (31.8 प्रतिशत) मामलों में कोई दोषी करार हुआ.
- वर्ष 2016 में ये हालत नहीं बदले हैं. भारत में कुल 22763 मामलों में परीक्षण पूर्ण हुआ, जिनमें से 6991 (3071 प्रतिशत) मामलों में ही किसी को दोषी करार दिया गया. मध्यप्रदेश में 5444 में से 1642 (30.16 प्रतिशत), बिहार में 316 में से 75 (23.73 प्रतिशत), आँध्रप्रदेश में 1012 में से 113 (11.17 प्रतिशत), महाराष्ट्र में 399 (21.6 प्रतिशत) और दिल्ली में 704 में से 294 (41.76 प्रतिशत) को दोषी करार दिया गया.
- वास्तव में बच्चों के लिए इस समाज और व्यवस्था में कदम कदम पर कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं!

भारत में बच्चों के प्रति अपराध

भारत बच्चों के लिए केवल असुरक्षित ही नहीं, बल्कि खतरनाक स्थान बनता जा रहा है. शायद भारत ही नहीं पूरी दुनिया बच्चों के साथ उपनिवेश सरीखा और बर्बर व्यवहार कर रही है. क्या आप विश्वास करेंगे कि वर्ष 2001 से 2016 के बीच भारत में बच्चों के विरुद्ध अपराध के 595089 मामले दर्ज किये गए. इनमें से 290553 यानी 49 प्रतिशत मामले तो आखिरी तीन सालों (2014 से 2016 में) ही दर्ज हुए.वर्ष 2013 और 2014 के बीच बच्चों के प्रति अपराध के मामलों में 54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई. बच्चों के विरुद्ध जितने मामले दर्ज हुए उनमें से 153701 मामले (26 प्रतिशत) बलात्कार-यौन शोषण और 249383 मामले (42 प्रतिशत) अपहरण के ही थे. इन सोलह सालों में अपहरण की मामलों में 1923 प्रतिशत और बलात्कार-गंभीर यौन अपराधों में 1705 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

इस अवधि में सभी वर्ष समूहों में बच्चों के प्रति अपराध की वृद्धि एक समान नहीं रही है. भारत के स्तर पर वर्ष 2001 से 2010 के बीच अपराधों में 147 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु अगले वर्ष समूह वर्ष 2010 से 2016 के बीच 301 प्रतिशत की वृद्धि हुई. शुरू के दस सालों में मध्यप्रदेश में यह वृद्धि 245 प्रतिशत थी, पर सदी के दूसरे दशक के आंकड़े बताते हैं कि अपराधों में वृद्धि 180 प्रतिशत रही. बहरहाल कुल वृद्धि 865 प्रतिशत रही है. बिहार में शुरू में दर्ज अपराधों की संख्या में 2120 प्रतिशत की वृद्धि हुई, बाद में यह 113 प्रतिशत रही.कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में बच्चों के प्रति अपराध के मामले गंभीर हुए हैं.

बच्चों के साथ कुल अपराध
वर्ष 2001 से 2016 के बीच प्रतिशत बदलाव

देश/राज्य	वर्ष 2001 से 2010	वर्ष 2010-2016	वर्ष 2001-2016
भारत	147	301	889
मध्यप्रदेश	245	180	864.6
महाराष्ट्र	101	346	798.1
बिहार	2120	113	711.3
उत्तरप्रदेश	-37	589	333.5
केरल	141	383	1065.6
गुजरात	76	262	535.8
पश्चिम बंगाल	427	696	4094
दिल्ली	298	125	796.7
तमिलनाडू	1228	253	4582
राजस्थान	505	206	1750.5
कर्नाटक	468	989	6087.5

पिछले साल यानी 2017 में चंडीगढ़ में एक 10 साल की बच्ची थी. बोलती कम थी, पर बहुत अच्छी और खुशमिजाज़. वह छठवीं कक्षा में पढ़ रही थी. उसे गणित और इंग्लिश विषय पसंद थे. कार्टून देखना भी उसे अच्चा लगता था. उसका नाम चिंकी था. हांलाकि यह बदला हुआ नाम है. आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है; बच्चे तो होते ही हैं ऐसे. 28 जुलाई 2017 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बच्ची के गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका गर्भ 32 सप्ताह का हो चुका था. 29 वें सप्ताह में ही पता चला कि वह गर्भवती है, जब उसने पेट में दर्द की शिकायत की और उसकी जांच हुई. उसका साधारण सा पर अच्छा परिवार सकते में आ गया. चिंकी के साथ उसके एक रिश्तेदार ने बलात्कार किया था.

अपने आसपास वृद्धि दर, विकास और उन्नति की बहुत तेज़ हवा बह रही है. यह हवा हमारे बीच से प्रेम, मानवता और नैतिकता को उड़ा कर ले गयी है. 28 जनवरी 2018 को दिल्ली में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ. उसकी उम्र 8 महीने थी. उसके माता-पिता बच्चों को अपनी भाभी के पास छोड़कर काम पर गए हुए थे. जब उसकी माँ काम से लौटी तो उसनें बच्चों को खून से लथपथ पाया. पता चला कि भाभी के लड़के ने उसके साथ बलात्कार किया. जब अस्पताल में उसे ले जाया गया तो कहते हैं कि इलाज़ के दौरान पूरे अस्पताल को उसकी चीत्कार ने हिलाकर रख दिया था. तीन घंटे चला उसका आपरेशन. वर्ष 2016 में 6 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के 520 मामले दर्ज हुए. क्या परंपरागत रूप से भारतीय समाज का यही चरित्र रहा है? क्या यह भारत विश्व गुरु होने का दावा करता है. मैं कहता हूँ कि मौजूदा समाज से ज्यादा अश्लील, हिंसक और घातक समाज हो ही नहीं सकता है. इतिहास में युद्धों और राज

व्यवस्थाओं ने हिंसा की है, लूट-पाट और असंवेदना का प्रदर्शन किया है; किन्तु क्या हमारा समाज, समाज के सदस्य यानी आम लोग खुद युद्ध में शामिल हैं. हज़ारों सालों के युद्ध, हिंसा और उपनिवेशवाद के प्रयोगों ने आखिर समाज में अपना स्थान बना ही लिया. यह समाज घातक इसलिए भी हैं क्योंकि इसमें हिंसा-अपराध-शोषण करने वाला कोई अपरिचित या दुश्मन नहीं होता; इसमें रिश्ते से जुड़ा व्यक्ति ही हमारे साथ हिंसा करता है.

हमें बार-बार समझाया जाता है कि बच्चे कोरे कागज़ की तरह होते हैं और हमारे समाज, परिवार और व्यवस्था का पर्यावरण उस कोरे कागज़ पर बच्चे के व्यक्तित्व की इबारत लिखता है. जैसा उसे साथ व्यवहार होगे, जिस माहौल में उसकी परवरिश होगी, वैसा ही उसका विकास होगा. और जैसा बच्चे का विकास होगा, वैसा ही समाज का चरित्र भी बनेगा. पिछले तीन दशकों में हमारी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और आर्थिक नीति में जबरदस्त बदलाव आया है, जिसका बहुत गहरा असर समाजनीति पर पड़ा है. उपनिवेशवाद ने नया रूप अख्तियार किया है. हम आज भी यह भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि आर्थिक विकास के लिए हम क्या और कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं? एक तरफ तो विकास के मौजूदा नीति पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को तहस नहस कर रही है, धरती को जला और डुबो रही है, बीमारियों के प्रकोप को तेज़ी से बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाज में बहुत तेज़ी से हिंसा का विस्तार और आपसी विश्वास का क्षरण हो रहा है. सबसे बुरा पहलु यह है कि हमने बच्चों और उनके जीवन को सामाजिक-आर्थिक बदलाव की सबसे बड़ी ताकत और सबसे अहम् संसाधन मानना छोड़ दिया है.

अब ये महज़ सैद्धांतिक और वक्तव्य नहीं रह गए हैं कि समाज संकट में है. 21 वीं सदी को सबसे तेज़ गति से विकास करने वाली सदी माना गया है. कहते हैं कि लोग बहुत अमीर हो रहे हैं; पर यह सच्चाई नहीं है. वर्ष 1982 में सबसे अमीर 1 प्रतिशत लोगों के पास देश की चाह प्रतिशत संपत्ति थी. अगले एक दशक में यह बढ़कर 10 प्रतिशत हो गयी. वर्ष 2014 में 1 प्रतिशत लोगों के पास 23 प्रतिशत सम्पदा थी और 10 प्रतिशत लोगों के पास 56 प्रतिशत. अब देश के 0.1 प्रतिशत लोगों के पास इतनी संपत्ति है, जितनी भारत की आधी जनसँख्या यानी 50 प्रतिशत के पास भी नहीं है. आक्सफेम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2016 में सबसे अमीर 1 प्रतिशत व्यक्तियों का कुल निजी सम्पदा के 58 प्रतिशत पर कब्ज़ा था. वर्ष 2017 में इन 1 प्रतिशत व्यक्तियों का देश की 73 प्रतिशत सम्पदा पर कब्ज़ा हो गया.

जब दुनिया बीसवीं सदी से इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर रही थी तब यह यह कहा गया था कि दुनिया बेहतर हो रही है! दुनिया में विकास हो रहा है! बहुत सारे चित्र प्रकाशित हुए थे, जिनमें सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा था. फूल खिल रहे थे और मौसम बहुत ही खुशगवार दिखाई दे रहा था. उस नयी सदी का यह अठारहवां साल है. यानी यह सदी वयस्क हो रही है. यह वक्त अपनी समीक्षा करने का भी तो है कि क्या सचमुच उगता हुआ सूरज सचमुच वैसा ही है, जैसा 1 जनवरी 2000 की सुबह दिखाया गया था. कहीं ऐसा तो नहीं है न कि यह सदी हमेशा से ज्यादा भयावह होने जा रही थी और इस भयावहता को छिपाने के लिए हर रोज़ 'आनंद, ख़ुशी और विकास का भ्रम" बहुत तन्मयता से गढ़ा गया. इस समाज की बढती वीभत्सता और कुरूपता को छिपाने के लिए हमें नशे के बाज़ार और बाज़ार के नशे के भ्रमजाल में फंसा दिया.

देश की व्यवस्था में सबसे ऊंचे पदों पर विराजमान लोग, भ्रम के पर्वत पर इतनी ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, कि उन्हें यह भान ही नहीं रहता कि बच्चों और महिलाओं का समाज तो गर्त में जा रहा है. वे चीख-चीख पर ऐसे आंकड़ों से वार करते हैं, जिनका कोई भी पुनर्परीक्षण कर ही नहीं सकता है. राजा बाबू, आप यह कह दो कि देश का सकल घरेलु उत्पाद 10 हज़ार अरब रूपए है, या यह भी कह दो कि 10 लाख अरब रूपए है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता; फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि विकास को मापने के आपके मानक ही भ्रम, झूठ और कुत्सित मानसिकता की नींव पर खड़े हैं. आपके मानकों में बराबरी और गरिमा का तो कोई स्थान है ही नहीं. आपके मानकों में असहमति और किसी भी विचार को स्वीकार करने

की स्वतंत्रता भी नहीं हैं. आपके मानकों में भविष्य के प्रति उत्तरदायी होने की भावना भी तो नहीं है जिसमें यह विचार किया जाता है कि आने वाले समाज के लिए हवा, पानी, पहाड़, खनिज, नदियाँ और जंगल बचे रहेंगे कि नहीं!

चलिए छोड़िये, ये थोड़ी गहरी बातें हैं; आपको समझ न आएँगी; क्योंकि सत्ता का चरित्र ही लूट और समाज के खिलाफ होने की मान्यता पर खड़ा हुआ है. क्या आपके विकास की परिभाषा में आज की पीढ़ी के बच्चों के लिए कोई स्थान है? ऐसा लगता है कि हमें उन्हें "विकास की बेदी पर बलि" चढ़ने के लिए नियुक्त कर दिया है. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) की इस सदी की रिपोर्ट्स का अध्ययन करने से पता चलता है कि भारत में वर्ष 2001 से 2016 के बीच बच्चों के खिलाफ होने वाले मामलों में 989 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इस दौरान खोखले मानकों पर बोये गए आपके सकल घरेलु उत्पाद (जिसे मापा नहीं जा सकता है) में तो छः गुना की ही वृद्धि हुई है.

देश की आर्थिक तरक्की को आप इस तथ्य के साथ जोड़ कर कैसे देखेंगे - पिछले 16 सालों में भारत में बच्चों से बलात्कार और यौन अपराधों में लगभग 1605 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. बच्चों से बलात्कार के वर्ष 2001 में 2113 मामले दर्ज हुए थे, वर्ष 2016 में यौन अपराधों के मामले बढ़ कर 36022 हो गए. ये भी केवल वही आंकड़े हैं, जो दर्ज हुए हैं, वरना अपनी व्यवस्था तो अपराध दर्ज न करके ही अपराध कम कर देती है. इसमें भी भौचक कर देने वाला तथ्य यह है कि बच्चों से बलात्कार के 95 प्रतिशत मामलों में (वर्ष 2016 में 38947 में से 36856 में) अपराध करने वाला कोई निकट सम्बन्धी और परिचित व्यक्ति ही रहा है. अपने विकास की परिभाषा में टूटते विश्वास और हिंसा के प्रति सहज होते जाने के संकट पर कोई विचार है क्या?

अपना देश बहुत धर्म करता है. भीमकाय ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा कर और आजकल हवा में धारदार हथियार लहराकर हम यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि देश भक्ति में लीन है; लेकिन सच यह कि विकास और कथित धार्मिकता के शोर में हम बच्चों की पुकार को दबा दे रहे हैं. हमारे प्रतिनिधि अब चीख-चीख कर क्यों बोलते हैं; निःसंदेह इसलिए ताकि लोग समाज का सच्चा चेहरा सामने लाने से डरें. बच्चों से बलात्कार होने पर परिवार और समाज "बदनामी" के नाम पर चुप रहता है; वो यह भूल जाता है कि ऐसा करके वह समाज के चरित्र को कितना गहरा आघात पंहुचा रहा है. संभव है कि कई मित्र यह भी बताएँगे कि ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है; परन्तु मेरा प्रश्न सरकार की पहलकदमी से नहीं, समाज के चरित्र और स्वभाव के निर्माण से जुड़ा है.

अपने आस-पास या देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति न होगा, जिसे यह पता न हो कि स्कूलों में क्या हो रहा है? वास्तव में हमें अपने शिक्षा केन्द्रों को "बर्बर कत्लखाना" बना दिया है, जहाँ बच्चों की आवाज़ का क़त्ल करके, हिंसा को व्यवस्थित रूप से अंजाम दिया जाता है. उन्हें प्रतिस्पर्धा की आग में इतना तपाया जाता है कि उनकी संवेदनाएं मर जाएँ, उनके प्रश्न पूछने और उत्तर ढूँढने की ग्रंथि मर जाए. उन्हें हिंसा करने और विकास के लिए लूटपाट करना सिखाया जाता है. उन्हें अहसास करा दिया जाता है कि उनके साथ यौन हिंसा होगी और इस पर उन्हें चुप्प रहना है. परिणाम भारत में 8 महीने की बच्ची के साथ भी बलात्कार होने लगता है.

एक बेहतर और विकसित समाज के मानकों में हम बच्चों और महिलाओं के जीवन को शामिल करना भूल गए. राजनीति से लेकर अर्थनीति तक; जो भी तय किया गया, उसने न केवल गैर-बराबरी बढ़ाई, बल्कि बच्चों को महिलाओं को भयंकर तरीके से हिंसा के मुंह में भी धकेल दिया. आज भी दलीय राजनीति और नीति नियामक संस्थाएं भरसक कोशिश करती हैं कि कहीं से भी बच्चे विकास के केंद्र में न आने पायें; क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें संसाधनों के बड़े दोहन, गैर-बराबरी और हिंसा पर केन्द्रित अपनी वर्तमान विकास की नीति को पूरी तरह से खारिज कर नयी परिभाषा गढ़ना पड़ेगी.

भारत में बच्चे न्याय और स्वतंत्रता से वंचित हैं. क्या बिना न्याय के विकास हो सकता है? हम ऐसे दौर में जहाँ एक साल में छः लाख बच्चे जीवन के पहले महीने में ही मर जाते हैं. जहाँ 6.5 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं. जहाँ मौजूदा हालातों में हर घंटे 6 बच्चों का अपहरण और 4 बच्चों के साथ बलात्कार होता है. कितना विरोधभास है कि सरकारों को चीख-चीख कर, अरबों रूपए के विज्ञापन देकर, झूठे आर्थिक आंकड़े रच कर देश को यह बताना पड़ता है कि खूब विकास हो रहा है, बच्चे और महिलायें सोचते हैं कि ये विकास गया कहाँ? वास्तव में विकास के साथ बलात्कार हुआ और उसका अपहरण हो गया.

हाल ही में भारत की महत्वपूर्ण सरकारी संस्था राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) ने वर्ष 2016 में हुए अपराधों का आंकड़ा जारी किया. हर साल ये आंकड़े जारी होते हैं, अखबारों-टीवी चैनल पर आते हैं. हम दुःख मानते हैं और अपने काम में जुट जाते हैं. यही आज के समाज और राज्य व्यवस्था की सीमा है. शायद हम जानते भी हैं कि हम मानवीय समाज के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं. हो सकता है मानव शरीर अस्तित्व में रहेगा, पर उसका स्वरुप तो मिटने की दिशा में ही बढ़ रहा है. मैं और आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा से सम्बंधित हो सकते हैं; उसे कुछ पल के लिए थोडा किनारे कीजिये और इंसान का रूप लेकर इस सवाल का जवाब खोजिये कि वह समाज कैसा होता है जिसमें 8 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है. जहाँ बलात्कार और हिंसा करने वाले 94.6 प्रतिशत लोग परिचित और करीबी होते हैं; यानी जिस पर विश्वास होते है, वही बलात्कार का कर्ता होता है.

21 वीं सदी ने बच्चों का विश्वास तोडा है, बस!

कुछ ज्यादा नहीं बस समग्रता में कुछ आंकड़े रखने की कोशिश भर है यह आलेख. आर्थिक विकास को हमने विकास का मूल मान लिया है. भले ही वह किसी भी कीमत पर हो. ऐसा आभास भी कराया जाता है कि हमने विकास किया है और अब भी बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं. चलिए इसे भी देख लेते हैं. भारत का सकल घरेलु उत्पाद (यानी देश में जितना भी उत्पादन हुआ-वस्तु, सेवाएँ, शुल्क समेत सब कुछ) वर्ष 2001 में 23558 अरब रूपए था. हर साल हमें बताया जाता रहा है कि इसमें कभी छः प्रतिशत, तो कभी सात और आठ प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी हो रही है. इससे सभी सरकारों का सीना फूल कर कुप्पा होता रहा है. यही सकल घरेलू उत्पाद 16 सालों में लगभग साधे छः गुना बढ़कर वर्ष 2016 में 151837 अरब रूपए हो गया. मुझे पता है कि इतनी गिनती हमें आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में नहीं पढ़ाई जाती है और हमारे इसी अज्ञान का फायदा सरकारें उठाती हैं. वो हमें अपनी गणना और सांख्यिकी से यह झूठ मानने के लिए तैयार कर देती हैं कि देश बदल रहा है और वे इसका सबसे स्याह पक्ष छिपा जाती हैं.

भारत में अब तक के खुले आंकड़ों से पता चलता है कि इस सदी के पहले 16 सालों में बच्चों के खिलाफ हिंसा/अपराध के कुल 595089 मामले दर्ज हुए हैं. इनमें से 290553 यानी कि 49 प्रतिशत मामले तो वर्ष 2014, 2015 और 2016 में ही दर्ज हुए हैं. इसका मतलब यह है कि इस समाज में बच्चे लगातार असुरक्षित होते जा रहे हैं. इस पूरी अवधि में बच्चों से अपराध के सबसे ज्यादा मामले मध्यप्रदेश (95324) दर्ज हुए. इसी तरह उत्तरप्रदेश में 88193, महाराष्ट्र में 74306 और दिल्ली राज्य में 59347 मामले दर्ज हुए हैं.

बच्चों के प्रति अपराध की विकास दर को देखें तो पता चलता है कि वर्ष 2001 में भारत में ऐसे 10814 मामले दर्ज हुए थे, जो वर्ष 2005 में 14975, वर्ष 2010 में 26694 हो गए. अगले छः सालों में बच्चों के प्रति अपराध चार गुना बढे और वर्ष 2016 में 106958 मामले दर्ज हुए. दूसरे मायनों में सोलह सालों में 889 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

वर्ष 2001 में मध्यप्रदेश में ऐसे 1425 मामले दर्ज हुए थे, जो वर्ष 2016 में बढ़कर 13746 हो गए. उत्तरप्रदेश में 3709 से बढ़कर 16079, दिल्ली में 912 से बढ़कर 8178, महाराष्ट्र में 1621 से बढ़कर 14559, राजस्थान में 218 से बढ़कर 4034 और कर्नाटक में 72 से बढ़कर 4455 हो गए.

बच्चों के खिलाफ अपराधों में मध्यप्रदेश में 864 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश में 585 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 333 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 798 प्रतिशत, तमिलनाडु में 4582 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

सबसे दुखद पक्ष यह है कि विकास की परिभाषा, संस्कृति का मूल्यांकन और राष्ट्रवाद के मुहावरे में यह सच कहीं उभरता ही नहीं है कि हमारा समाज वास्तव में बच्चों के प्रति अपराध करने वाला समाज बना गया है. भारत की संसद में या राज्य की विधानसभाओं में यह विषय चर्चा के लिए महत्वपूर्ण माना ही नहीं जाता है कि हमारी व्यवस्था इस हद तक बाल विरोधी कैसे हो गयी है? बहरहाल तथाकथित राष्ट्रवादी संगठनों को भी यह विषय कोई ख़ास महत्त्व का नहीं लगता है, क्योंकि इससे राजनीतिक भावनाएं नहीं भड़कती हैं. सबसे बुरा पक्ष यह है कि हमारा समाज भी इस पर सदैव से मौन ही रहा है, क्योंकि हमारे ताने-बाने में बच्चों से होने वाली यौन हिंसा या बलात्कार को छिपाने की परंपरा रही है. लगभग हमेशा ही बलात्कार करने वाला कोई न कोई परिचित या रिश्ते का ही व्यक्ति होता है और परिवार के मान के लिए बच्चों के साथ होने वाली घटना हो छिपाया जाता रहा है. वस्तुतः बच्चों के साथ हिंसा में परिवार और समाज भी उतना ही हिस्सेदार होता है, जितना की अपराधी; क्योंकि हमें चुप रह कर और बच्चों को चुप कराकर उसे अपराधी को और ज्यादा अपराध के लिए तैयार किया है.

बच्चों से बलात्कार और यौन अपराध - 16 साल में 1705 प्रतिशत वृद्धि

भारत में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध के हर चार मामलों में से मामला बच्चों से बलात्कार का होता है. इन 16 सालों में भारत में बच्चों से बलात्कार और यौन अपराधों के कुल 153701 मामले दर्ज हुए हैं और हमें यह भली भांति पता है कि अब भी ऐसे कई मामले पुलिस के रिकार्ड तक पंहुच ही नहीं पाते हैं.

इन्ही सोलह सालों में भारत में बच्चों के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले वर्ष 2001 में 2113 से बढ़कर वर्ष 2016 में 36022 हो गए यानी सबसे तेज़ विकास के दौर में बच्चों से गंभीर यौन अपराधों और बलात्कार के मामलों में 1705 प्रतिशत की वृद्धि हुई. उल्लेखनीय है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पोक्सो)-2012 के लागू होने के बाद वर्ष 2014 से बच्चों के यौन उत्पीड़न एवं शोषण के ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं.

अगर बच्चों से बलात्कार का सन्दर्भ लें तो यह स्पष्ट नज़र आता है कि इन सालों में ये मामले 2113 से बढ़ कर 19765 हो गए. बच्चों से बलात्कार के मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पोक्सो क़ानून 2012 की धाराओं 4 और 6 में दर्ज किये जाते हैं.

16 सालों में देश में इस श्रेणी के सबसे ज्यादा मामले मध्यप्रदेश में (23569) दर्ज हुए हैं. इसके बाद उत्तरप्रदेश में 22171, महारष्ट्र में 18307, छत्तीसगढ़ में 9076 और दिल्ली में 7825 मामले दर्ज किये गए हैं.

जब विकास के मानक तय होते हैं, तब यह बात क्यों छिपा दी जाती हैं कि इन सोलह सालों में कर्नाटक में बच्चों से बलात्कार-यौन उत्पीड़न के दर्ज मामले 11 से बढ़कर वर्ष 2017 में 1565 हो गए. इसी तरह मध्यप्रदेश में 390 मामलों की संख्या बढ़कर 4717, महारष्ट्र में 367 से बढ़कर 4815, गुजरात में 39 से बढ़कर 1408, छत्तीसगढ़ में 150 से बढ़कर 1570 ओडीसा में 17 से बढ़कर 1928, पश्चिम बंगाल में 12 से बढ़कर 2132 और तमिलनाडु में 20 से बढ़कर 1583 हो गयी.

बच्चों के साथ बलात्कार और यौन अपराध - वर्ष 2001 से 2016 के बीच प्रतिशत बदलाव

देश/राज्य	वर्ष 2001 से 2010	वर्ष 2010-2016	वर्ष 2001-2016
भारत	160	557	1705
मध्यप्रदेश	203	299	1209
महाराष्ट्र	104	545	1312
बिहार	613	104	1456
उत्तरप्रदेश	(-)20	998	881
केरल	882	1349	14227
गुजरात	130	226	750
पश्चिम बंगाल	508	2821	17767
दिल्ली	169	433	1434
तमिलनाडू	915	680	7915
राजस्थान	954	301	4226
कर्नाटक	882	1349	14227

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बच्चों से बलात्कार के मामले वर्ष 2014 से 16 तक पोक्सो क़ानून के तहत दर्ज किये हैं. तय है कि सरकार के नुमायिंदे यह तर्क देंगे कि वास्तव में अपराध बढे नहीं है, सरकार ने कोशिश की है कि हर मामला दर्ज हो और कार्यवाही हो; क्या हमारी कार्यवाही में इन घटनाओं के कारणों और कारको जानने की कोई ठोस पहल शामिल है?

इस अवधि में मध्यप्रदेश में 1109 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 1212 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश में 781 प्रतिशत, तमिलनाडु में 7815 प्रतिशत और राजस्थान में 4126 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

यह उल्लेख करना जरूरी है कि वर्ष 2001 से 2016 के बीच बच्चों के प्रति अपराधों में वृद्धि की दर एक समान नहीं रही है. भारत में वर्ष 2001 से 2010 के बीच बलात्कार और यौन अपराधों में अपराधों में 160 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु

वर्ष 2010 से 2016 के बीच यह वृद्धि बहुत ज्यादा यानी 557 प्रतिशत रही. कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पहले अपराध तेज

गति से बढ़े, फिर 2010 के बाद उनमें वृद्धि की गति धीमी रही. आँध्रप्रदेश में वर्ष 2001 से 2010 के बीच बलात्कार और यौन अपराधों में वृद्धि 431 प्रतिशत रही, पर 2010 से 2016 के बीच 86 प्रतिशत हो गई.इसी तरह बिहार में पहले 613 प्रतिशत वृद्धि हुई, फिर 104 प्रतिशत वृद्धि हुई. गुजरात में पहले 162 प्रतिशत वृद्धि हुई थी, जो वर्ष 2010 से 2016 के बीच 1280 प्रतिशत हो गई. मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में वर्ष 2001 से 2016 तक वृद्धि क्रमशः 203 प्रतिशत, 104 प्रतिशत और 225 प्रतिशत थी, जो बाद के वर्षों में 299 प्रतिशत, 545 प्रतिशत और 788 प्रतिशत हो गई.

बच्चे ही सबसे बड़े शिकार है!

वर्ष 2007 से वर्ष 2016 तक की अवधि में देश में घटित हुए बलात्कार के पूरे मामलों का अध्ययन करने से पता चलता है कि बच्चों की असुरक्षा लगातार बढ़ रही है. वर्ष 2007 में भारत में सभी आयु वर्गों में बलात्कार के कुल 20737 मामले दर्ज किये गए थे. इनमें से 25 प्रतिशत शिकार (5124) बच्चियां थीं.

उस समय दिल्ली में घटित हुए बलात्कार के 598 मामलों में से 67 प्रतिशत (398) घटनाएं बच्चियों के साथ घटित हुईं.

मध्यप्रदेश में 3010 में से 1043 (35 प्रतिशत), महाराष्ट्र में 1451 में से 517 (36 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश में 1648 मामलों में से 471 (29 प्रतिशत) मामलों में बलात्कार बच्चियों के साथ हुआ था.

दस सालों में कुल बलात्कारों में पीड़ित बच्चियों की संख्या 25 प्रतिशत से बढ़ कर वर्ष 2016 में 43 प्रतिशत हो गयी. वर्ष 2016 में भारत में बलात्कार के 38947 मामले दर्ज हुए. इनमें से बच्चियों की संख्या 16863 थी. मध्यप्रदेश में 4882 में से 2479 (51 प्रतिशत), ओडीसा में 1983 में से 1258 (63 प्रतिशत), महाराष्ट्र में 4189 में से 2310 (55 प्रतिशत), कर्नाटक में 1655 में से 1142 (69 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ में 1626 में से 984 (61 प्रतिशत) घटनाएं बच्चियों के साथ हुईं.

बच्चों से बलात्कार और यौन अपराध 2001-2016

क्र.	राज्य इकाई	बलात्कार (2001)	बलात्कार और यौन अपराध (पोक्सो 2012 सहित) (2016)	कुल बलात्कार और यौन अपराध 2001-2016	% बदलाव
1	आँध्रप्रदेश	84	830	7499	888
2	आसाम	0	821	2733	nv
3	बिहार	16	233	1311	1356
4	छत्तीसगढ़	150	1570	9076	947
5	गोवा	10	75	477	650
6	गुजरात	39	1408	4702	3510
7	हरियाणा	108	1020	3885	844
8	हिमाचल प्रदेश	35	205	1294	486
9	जम्मू काश्मीर	6	25	197	317
10	झारखण्ड	11	348	869	3064
11	कर्नाटक	11	1565	5490	14127
12	केरल	64	1848	7470	2788
13	मध्यप्रदेश	390	4717	23659	1109
14	महाराष्ट्र	367	4815	18307	1212
15	ओडीसा	17	1928	5298	11241
16	पंजाब	38	596	3430	1468
17	राजस्थान	35	1479	7685	4126
18	तमिलनाडु	20	1583	6379	7815
19	तेलंगाना	NA	1158	nv	nv
20	उत्तरप्रदेश	562	4954	22171	781
21	उत्तराखंड	9	218	745	2322
22	पश्चिम बंगाल	12	2132	5885	17667
23	दिल्ली	113	1620	7825	1334
	भारत	**2113**	**36022**	153701	1705

बच्चों के अपहरण

भारत में वर्ष 2016 में 54723 बच्चों के अपहरण के मामले दर्ज हुए, जबकि वर्ष 2001 में ऐसे दर्ज मामलों की संख्या 2845 थी. इस सोलह सालों में बच्चों के अपहरण के मामलों में 1823 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

पता नहीं यह तथ्य आपको कितना हिलाएगा? हिलाएगा भी कि नहीं, पता नहीं! बच्चों के अपहरण के 54723 मामलों में से 39842 (73 प्रतिशत) लड़कियां थी. इनमें से 16937 का अपहरण शादी के मकसद से किया जाना दर्ज किया गया है.

बहरहाल इसका एक महत्वपूर्ण सामाजिक पक्ष यह भी है कि नाबालिग लड़कियों द्वारा प्रेम किये जाने या जाति भिन्नता होने पर मोहब्बत की स्थितियों में घर छोड़कर चले जाने पर परिजन अपहरण का मामला ही दर्ज करवाते हैं. 2016 में दर्ज कुल मामलों में से 10986 में बच्चों की तलाश नहीं हो सकी थी.

समग्रता में देखने पर चित्र भयावह और चेहरा बहुत ज्यादा कुरूप नज़र आता है. वर्ष 2001 से 2016 के बीच भारत में 249383 बच्चों का अपहरण हुआ. इनमें 56 प्रतिशत मामले तो केवल उत्तरप्रदेश (45953), दिल्ली (43175), महाराष्ट्र (25626) और मध्यप्रदेश (23563) में ही दर्ज हुए हैं.

वास्तविकता यह है कि ज्यादातर मामलों में बच्चों की तस्करी के मामलों को छिपाया जाता रहा है. अदालत की सक्रियता से बाल व्यापार को गंभीरता से लिया जाना शुरू हुआ है.

सच तो यह भी है कि बच्चों के साथ यौन व्यवहार, नशीले पदार्थों की तस्करी, भीख मंगवाने और अपराधों के लिए संगठित आपराधिक समूह बच्चों का अपहरण करते रहे हैं. इस तरह के मामलों में पुलिस व्यवस्था की भूमिका हमेशा सवालों के घेरे में रही है. साफ़ जाहिर होते है कि बच्चों के अपहरण के मामलों में इन सोलह सालों में खूब वृद्धि हुई है.

कर्नाटक में वर्ष 2001 में इस श्रेणी में 14 मामले दर्ज हुए थे, जो वर्ष 2016 में बढ़कर 2144 हो गए. मध्यप्रदेश में इन सालों में बाल अपहरण के मामले 100 से बढ़कर 6016 हो गए, यानि 5916 प्रतिशत की वृद्धि. इसी तरह महाराष्ट्र में बच्चों के प्रति इस अपराध की संख्या 210 से बढ़कर 7956, उत्तरप्रदेश में 1185 से बढ़कर 9657 और दिल्ली में 612 से बढ़कर 5935 हो गयी.

महाराष्ट्र में इस तरह के मामलों में 3689 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश में 715 प्रतिशत, कर्नाटक में 15214 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 4758 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

यह देखना महत्वपूर्ण है कि कुछ राज्यों में वर्ष 2001 से 2010 से 2010 से 2016 की वर्ष अवधि में अलग अलग तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं. आन्ध्र प्रदेश में 2010 तक बच्चों के अपहरण में 919 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, किन्तु 2010 से 2016 के बीच इसमें 15 प्रतिशत की कमी आई.

यही बात बिहार के सन्दर्भ में दिखाई देती है कि पहले वहां 5127 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2010 के बाद 140 प्रतिशत रही.

मध्यप्रदेश में 2001 से 2010 के बीच 340 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि बाद के वर्षों में वृद्धि 1267 प्रतिशत दर्ज की गई.

बच्चों का अपहरण (2001-2016)								
क्र.	राज्य इकाई	2001	2010	2016	% बदलाव (2001-2010)	% बदलाव (2010-2016)	% बदलाव (2001-2016)	2001 – 2016 की अवधि में दर्ज कुल मामले
1	आँध्रप्रदेश	57	581	494	919	-15	767	8118
2	आसाम	18	17	2970	-6	17371	16400	3805
3	बिहार	26	1359	3257	5127	140	12427	14829
4	छत्तीसगढ़	46	186	1989	304	969	4224	8807
5	गोवा	6	14	88	133	529	1367	561
6	गुजरात	120	565	1749	371	210	1358	11937
7	हरियाणा	124	123	1282	-1	942	934	5997
8	हिमाचल प्रदेश	20	86	230	330	167	1050	1554
9	जम्मू काश्मीर	15	5	167	-67	3240	1013	853
10	झारखण्ड	4	6	247	50	4017	6075	656
11	कर्नाटक	14	125	2144	793	1615	15214	6763
12	केरल	28	111	157	296	41	461	1532
13	मध्यप्रदेश	100	440	6016	340	1267	5916	23563
14	महाराष्ट्र	210	749	7956	257	962	3689	25626
15	ओडीसा	22	51	1154	132	2163	5145	3711
16	पंजाब	35	373	1031	966	176	2846	5990
17	राजस्थान	62	706	1891	1039	168	2950	11825
18	तमिलनाडु	7	459	373	6457	-19	5229	4339
19	तेलंगाना	उप.नहीं	उप.नहीं	759	उप.नहीं	उप.नहीं	उप.नहीं	2001
20	उत्तरप्रदेश	1185	1225	9657	3	688	715	45953
21	उत्तराखंड	16	9	436	-44	4744	2625	1586
22	पश्चिम बंगाल	86	332	4178	286	1158	4758	12679
23	दिल्ली	612	2982	5935	387	99	870	43175
	भारत	**2845**	**10670**	**54723**	**275**	**413**	**1823**	**249383**

अभी कई अपराध मान्यता प्राप्त हैं!

बच्चों के खिलाफ होने वाले कुल दर्ज अपराधों (595089) में 68 फीसदी हिस्सा (बलात्कार 153701 और अपहरण - 249383) तो बच्चों के साथ बलात्कार और उनके अपहरण के मामलों का ही है. अभी ज्यादातर ध्यान केवल गंभीर हिंसा और बड़े अपराधों पर केन्द्रित है. इसका अर्थ यह भी है कि बच्चों के साथ मारपीट, उनके साथ होने वाली छुआछूत और अन्य शोषण के मामले सामान्यतः दर्ज ही नहीं होते हैं. कुछ व्यवहारों को, जिन्हें क़ानून की नज़र से अपराध माना जाता है, उन्हें सामाजिक मान्यता मिली हुई है और वे दर्ज ही नहीं होते हैं.

वर्ष 2015-16 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (चक्र-4) की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2011 से 2015 के बीच भारत में 26.8 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी गयी. भारत में लगभग 1.2 करोड़ शादियाँ हर साल होती हैं. इसका मतलब है कि हर साल लगभग 29 लाख मामलों में लड़कियों की कम उम्र में शादी होती है.

मध्यप्रदेश में 32.4 प्रतिशत, बिहार में 42.5 प्रतिशत, राजस्थान में 35.4 प्रतिशत, गुजरात में 24.9 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 26.3 प्रतिशत लड़कियों की शादी वैधानिक उम्र से कम में हुई; लेकिन इक्कीसवीं सदी के शुरूआती सोलह सालों में पूरे भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कुल 2243 मामले ही दर्ज हुए.

वास्तव में इस तरह के मामलों में सामाजिक व्यवहार और रीति-रिवाजों के सन्दर्भ में सामाजिक समूह और कानूनी संस्थाएं भी बाल विवाह को अपराध के रूप में स्वीकार नहीं करती हैं, बल्कि इसे सहज व्यवहार की मान्यता दे दी गयी है; जिसे बदलने में अलग तरह की जद्दोजहद जारी है.

चरम उपेक्षा का ठीक यही हाल बाल मजदूरी के व्यवहार पर भी लागू होता है. जनगणना-2011 के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी में लिप्त हैं. इनमें से 10 लाख बच्चे नुकसानदायक कामों में शामिल हैं. दिक्कत यह है कि नए बाल मजदूरी निषेध क़ानून में 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को घरेलू उपक्रमों और गैर-नुकसानदायक उपक्रमों में मजदूरी करने की अनुमति दे दी गयी है. वर्ष 2016 में देश भर में बाल मजदूरी क़ानून के तहत केवल 204 मामले दर्ज हुए. 36 में से 23 राज्यों में तो बाल मजदूरी का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ.

भारत में व्याप्त गैर-बराबरी और चरम गरीबी के चलते बच्चों को खतरनाक श्रम से बचाने की पहल भी आसान नहीं है. हम यदि उन्हें मजदूरी से रोकेंगे तो भुखमरी के जाल में भी तो धकेलेंगे. बच्चों को बाल मजदूरी से तब तक सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता है, जब तक कि हम अपनी आर्थिक नीति और नियत में बुनियादी बदलाव नहीं कर लेते;

इसी तरह इंटरनेट पर और इंटरनेट के जरिये बच्चों के शोषण के मामलों में जबरदस्त वृद्धि हो रही है. यह माना जाता है कि इंटरनेट पर हर रोज़ बच्चों की सहभागिता वाली यौन सामग्री की 116 हज़ार खोजें होती है. वर्ष 2015 से 2017 के बीच सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदातों को 7574 ऐसी वेबसाइट्स/पेज बंद करने के निर्देश दिए हैं, जिन पर बच्चों के यौन शोषण/उत्पीड़न से सम्बंधित सामग्री मौजूद थी; लेकिन सामाजिक निष्क्रियता और समझ के अभाव के चलते इंटरनेट पर और इसके जरिये होने वाले शोषण के सम्बंधित मामलों के दर्ज होने की संख्या लगभग नगण्य ही है.

कौन करता है बच्चों के विरुद्ध अपराध?

क्या यह कोई स्थापित सिद्धांत है कि हमारे साथ सबसे गंभीर अपराध वही करता है, जो हमसे या हम जिससे परिचित होते है, जिसे हम जानते हैं और जिस पर हम विश्वास करते हैं? कुल बलात्कार और बच्चों से बलात्कार के मामले तो कम से कम यह बता रहे हैं. वर्ष 2007 में भारत में बलात्कार के कुल 20737 मामले दर्ज हुए थे. इनमें से 19188 (93 प्रतिशत) मामलों में बलात्कार करने वाला व्यक्ति पीड़ित महिला या बच्चे का परिचित, रिशेत्दार या जानकार था.

मध्यप्रदेश में तो सभी 3010 मामलों में, उत्तरप्रदेश में 1648 में से 1638 मामलों में, राजस्थान में 1238 में से 1159 मामलों में और महाराष्ट्र में 1451 मामलों में बलात्कार करने वाला कोई रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति ही था. अपरिचय के लोग कम चोट दिया करते हैं, खतरा तो अब अपनों से महसूस होता है.

यह स्थिति लगातार बनी हुई है. एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में घटित हुए बलात्कार के 38947 अपराधों में 95 प्रतिशत मामलों (38947) में अपराध करने वाला व्यक्ति कोई परिचित और करीबी रिश्तेदार ही था. मध्यप्रदेश में 4882 में से 4789 मामलों में, उत्तरप्रदेश में 4816 में से 4803 मामलों में, राजस्थान में 3656 मामलों में से 3626 मामलों में, महाराष्ट्र में 4189 मामलों में 4126 मामलों में बलात्कार करने वाले परिचित और रिश्तेदार ही थे. आज के समाज और मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है कि बच्चे और महिलायें किन पर और किस हद तक विश्वास कर सकती हैं?

बच्चों के प्रति अपराध - कुल मामले (2001-2016)

		2001				2016					
क्र.	राज्य इकाई	हत्याएं	बलात्कार/यौन अपराध	अपहरण	बच्चों के प्रति अपराध - कुल मामले	हत्याएं	बलात्कार/यौन अपराध	अपहरण	बच्चों के प्रति अपराध - कुल मामले	2001-2016 के बीच दर्ज बच्चों के प्रति कुल अपराध	2001-2016 के बीच दर्ज बच्चों के प्रति कुल अपराधों में वृद्धि - % में
1	आँध्रप्रदेश	34	84	57	270	54	830	494	1847	25053	584.1
2	आसाम	0	0	18	18	35	821	2970	3964	10444	21922
3	बिहार	2	16	26	83	33	233	3257	3932	19547	4637.3
4	छत्तीसगढ़	8	150	46	585	75	1570	1989	4746	31055	711.3
5	गोवा	1	10	6	34	3	75	88	230	1872	576.5
6	गुजरात	77	39	120	572	79	1408	1749	3637	23730	535.8
7	हरियाणा	31	108	124	363	58	1020	1282	3099	14971	753.7
8	हिमाचल प्रदेश	5	35	20	82	3	205	230	467	3829	469.5
9	जम्मू काश्मीर	2	6	15	28	5	25	167	222	1248	692.9
10	झारखण्ड	2	11	4	41	10	348	247	717	2640	1648.8
11	कर्नाटक	12	11	14	72	84	1565	2144	4455	16723	6087.5
12	केरल	75	64	28	247	33	1848	157	2879	16658	1065.6
13	मध्यप्रदेश	72	390	100	1425	126	4717	6016	13746	95324	864.6
14	महाराष्ट्र	177	367	210	1621	162	4815	7956	14559	74306	798.1

15	ओडीसा	2	17	22	68	19	1928	1154	3286	11263	4732.4
16	पंजाब	17	38	35	123	55	596	1031	1843	11749	1398.4
17	राजस्थान	16	35	62	218	39	1479	1891	4034	25585	1750.5
18	तमिलनाडु	23	20	7	61	87	1583	373	2856	14934	4582.0
19	तेलंगाना	NA	NA	NA	NA	48	1158	759	2909	nv	nv
20	उत्तरप्रदेश	450	562	1185	3709	506	4954	9657	16079	88193	333.5
21	उत्तराखंड	9	9	16	46	4	218	436	676	2719	1369.6
22	पश्चिम बंगाल	3	12	86	167	67	2132	4178	7004	26164	4094.0
23	दिल्ली	21	113	612	912	36	1620	5935	8178	59347	796.7
	भारत	**1042**	**2113**	**2845**	**10814**	**1640**	**36022**	**54723**	**106958**	**595089**	**889.1**

न्याय से दूर, अन्याय के बीच बच्चे!

भारत की न्याय प्रणाली बच्चों को न्याय नहीं दिला पाती है. इसमें तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं; पहला - मामलों का दर्ज नहीं होना, दूसरा - मामले दर्ज होना, किन्तु उन पर निर्णय होने में बहुत देरी होना और तीसरा - अदालती प्रक्रिया के अंत में लभग 70 प्रतिशत मामलों में किसी का दोषी साबित न होना. जरा कल्पना कीजिये किसी न किसी न किसी ने तो बच्चों के साथ अपराध किया है. बच्चे उसे अभिव्यक्त कर रहे हैं और मामले सामने आ रहे हैं; किन्तु जब 70 प्रतिशत लोग अपराध करके छूट जा रहे हैं, तो बच्चों के साथ होने वाली अपराधों की रोकथाम कैसे होगी?

एक तरफ तो समाज की विकृतियां बच्चों को असुरक्षित बना रही हैं, तो वहीँ दूसरी और न्याय व्यवस्था भी अपनी जरूरी भूमिका नहीं निभा रही है. परिणाम स्वरुप वर्ष 2001 से 2016 के बीच बच्चों के प्रति अपराधों में जबरदस्त वृद्धि हुई. अब हमें यह भी सोचना होगा कि मामले तो दर्ज हो रहे हैं, किन्तु अदालतों में परीक्षण की कार्यवाही बेहद धीमी गति से चल रही है और जिन मामलों में परीक्षण पूरा हो रहा है, उनमें से ज्यादातर दोषमुक्त करार दिए जा रहे हैं.

21 वीं सदी के पहले सोलह सालों में बच्चों के प्रति अपराध से सम्बंधित अदालत में लंबित मामलों की संख्या में भारत में 973 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 1420 प्रतिशत, राजस्थान में 3519 प्रतिशत, बिहार में 15015 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 10690 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 828 प्रतिशत, कर्नाटक में 10927 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

जब हम गंभीर अपराधों की बात करते हैं, तब पता चलता है कि इस अवधि में बच्चों की हत्या के लंबित प्रकरणों की संख्या में 239 प्रतिशत, बलात्कार के लंबित मामलों में 1311 प्रतिशत और अपहरण के लंबित मामलों की संख्या में 1431 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

भारत में वर्ष 2001 में बच्चों की हत्या के 2482 प्रकरणों में से 354 में परीक्षण पूरा हुआ और इनमें से 193 लोगों को सजा हुई, किन्तु 161 लोग छूट गए. इसी तरह बच्चों से बलात्कार के 4546 मामलों में से 726 में परीक्षण पूरा हुआ, 281 लोगों को सजा हुई और 445 लोग छूट गए. बच्चों के अपहरण के 4837 मामलों में से 701 में परीक्षण पूरा हुआ और 326 को दोषी पाया गया. शेष 375 लोग छूट गए.

वर्ष 2016 में बच्चों की हत्या के 7915 मामले अदालतों में दर्ज थे. इनमें से 640 में परीक्षण पूरा हुआ, किन्तु 283 मामलों में ही किसी को दोषी पाया गया. वर्ष 2016 में बच्चों के अपहरण के 74052 मामले दर्ज थे, इनमें से 6077 में ही परीक्षण पूरा हुआ और महज़ 1381 मामलों की किसी को दोषी पाया गया.

बच्चों से बलात्कार के लंबित 64138 मामलों में से 6626 में ही परीक्षण पूरा हुआ और 1879 को दोषी पाया गया. जरा विचार कीजिये कि जब बच्चों की हत्या, बलात्कार और अपहरण के मामलों में 50 से 70 प्रतिशत आरोपी दोषमुक्त कर दिए जा रहे हों, तब क्या बच्चों को देश की न्याय व्यवस्था में किसी भी तरह का विश्वास बचा रहेगा? जब बच्चों के साथ हिंसा-अपराध करने वाले आरोपी मुक्त कर दिए जा रहे हों, तब बच्चे किस हद तक सुरक्षित रहेंगे और किस हद तक भविष्य में वे अपने साथ होने वाले अपराधों को दर्ज करवाने के लिए सामने आयेंगे? भारत में सामान्यतः अनुभव यही है कि कोशिश करो कि पीड़ित होने के बाद भी पुलिस और कोर्ट के आँगन में पैर न रखना पड़े! वहां पीड़ित की पीड़ा दोहरी हो जाती है.

बच्चे से अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. 16 सालों में मामलों की संख्या 10814 से बढ़ कर 106958 हो गए. इन सालों में ऐसे कुल 595089 मामले दर्ज किये गए. यह तो सामाजिक व्यवस्था का भी सवाल है कि बच्चों का उत्पीडन लगातार बढ़ने पर भी समाज शांत भाव में है और विकास का आनंद ले रहा है, और न्याय व्यवस्था भी हरसंभव तरीके से उदासीन है. सरकार की भरसक कोशिश रही है कि बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को दर्ज किया जाए ताकि उन पर कार्यवाही हो सके, किन्तु क्रियान्वयन के स्तर पर बच्चों और उनके परिजनों को उपेक्षा और दबाव की गहरी मार झेलना पड़ रही है.

वर्ष 2001 की स्थिति में भारत में बच्चों के साथ अपराध के 21233 मामले अदालतों में लंबित थे. इन प्रकरणों का परीक्षण किया जाना बाकी था. इनमें से साल भर में 3231 मामलों का ही परीक्षण पूरा हुआ, यानी बच्चों से अपराध के मामलों में परीक्षण पूरा होने की दर महज़ 15.2 थी. जिन मामलों में सुनवाई पूरी हुई, उनमें से भी केवल 1531 मामलों में ही सजा हुई, शेष 53 प्रतिशत मामलों में आरोपी छूट गए.

मध्यप्रदेश में 2065 लंबित प्रकरणों में से 404 (19.2 प्रतिशत), राजस्थान में 250 में से 29 (11.6 प्रतिशत), कर्नाटक में 63 में से 2 (3.2 प्रतिशत) और महाराष्ट्र में 3999 में से 262 (6.6 प्रतिशत) मामलों में ही सुनवाई पूरी हुई. इन स्थितियों में मध्यप्रदेश में 157, राजस्थान में 11, कर्नाटक में 0 और महाराष्ट्र में 37 मामलों में ही आरोपी हो दोषी पाया गया.

भारत के स्तर पर बच्चों के खिलाफ़ अपराध के लंबित मामलों की संख्या वर्ष 2004 में बढ़कर 30316, और वर्ष 2010 में 72315 हो गई. इनमें से भी लगभग एक तिहाई मामलों में ही आरोपियों को सजा हुई और शेष मुक्त हो गए.

वर्तमान स्थिति (वर्ष 2016) में भारत में बच्चों से अपराध के अदालत में लंबित मामलों की संख्या वर्ष 2001 के 21233 लंबित प्रकरणों से से लगभग 11 गुना बढ़कर 227739 हो गई. बच्चों के अधिकारों का हनन केवल उनके साथ होने वाले अपराधों से ही नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि हमारी न्यायिक व्यवस्था के लचरपन और कमज़ोर होती न्याय प्रणाली से भी सीधे सीधे जुड़ा हुआ है.

आधुनिक भारत में भले ही अन्याय होता रहे और न्याय न मिले, किन्तु माहौल ऐसा बना दिया गए है कि इस तरह की स्थितियों में भी न्यायिक व्यवस्था और उसके स्वभाव की आलोचनात्मक समीक्षा करने का अधिकार भारत के नागरिकों नहीं है. ऐसी समीक्षा को न्यायपालिका के विशेषाधिकार का हनन और अवमानना माना जाता है.

मध्यप्रदेश में वर्ष 2001 में बच्चों के प्रति अपराध से सम्बंधित 2065 मामले अदालत में परीक्षण के लिए लंबित थे, जो वर्ष 2016 तक बढ़कर 31392 हो गए. यानी केवल अपराध ही नहीं बढ़े, बल्कि लंबित मामलों में ही 1420 प्रतिशत की वृद्धि हो गई. वर्ष 2016 में एक साल में राज्य में कुल 5444 मामलों में परीक्षण पूरा हो पाया और इनमें से 30 प्रतिशत यानी कि 1642 की अपराधी पाये गए.

महाराष्ट्र में सोलह सालों में अदालतों में लंबित प्रकरणों की संख्या 3999 से बढ़कर 37125 हो गई, यानी 828 प्रतिशत की वृद्धि हुई. वर्ष 2016 में कुल 1847 मामलों का ही परीक्षण पूर्ण हो पाया, जिसमें से केवल 21 प्रतिशत मामलों में ही किसी को सजा हुई और शेष मुक्त हो गए.

उत्तरप्रदेश में लंबित प्रकरणों की संख्या 275 प्रतिशत बढ़ी और संख्या 10597 से बढ़कर 39749 हो गई. इसी तरह गुजरात में यह संख्या 830 से बढ़कर 12035 हो गई.

बच्चों के प्रति अपराध, लंबित प्रकरण, परीक्षण शेष, परीक्षण पूर्ण होने की दर और दोषी साबित होने (वर्ष 2001 – 2016)											
अपराध का प्रकार	2001 - भारत					2016 - भारत					% वृद्धि (2001-2016)
	कुल लंबित प्रकरण - पूर्व शेष और नए दर्ज	परीक्षण पूर्ण	परीक्षण पूर्ण होने की दर	सजा तय वाले प्रकरण	सजा होने की दर	कुल लंबित प्रकरण - पूर्व शेष और नए दर्ज	परीक्षण पूर्ण	परीक्षण पूर्ण होने की दर	सजा तय वाले प्रकरण	सजा होने की दर	
हत्या	2335	344	14.7	188	54.7	7915	640	8.086	283	44.2	239.0
बलात्कार	4546	726	16	281	38.7	64138	6626	10.33	1869	28.2	1310.9
अपहरण	4837	701	14.5	326	46.5	74052	6077	8.206	1381	22.7	1430.9

बच्चों के प्रति अपराध, लंबित प्रकरण, परीक्षण शेष, परीक्षण पूर्ण होने की दर और दोषी साबित होने (वर्ष 2001 – 2016)												
	2001						2016						% वृद्धि (2001-2016)
	कुल लंबित प्रकरण - पूर्व शेष और नए दर्ज	वर्ष के अंत में लंबित	परीक्षण पूर्ण	परीक्षण पूर्ण होने की दर	सजा तय वाले प्रकरण	सजा होने की दर - %	कुल लंबित प्रकरण - पूर्व शेष और नए दर्ज	वर्ष के अंत में लंबित	परीक्षण पूर्ण	परीक्षण पूर्ण होने की दर	सजा तय वाले प्रकरण	सजा होने की दर - %	
भारत	**21233**	**17768**	**3231**	**15.2**	**1531**	**47.4**	**227739**	**204100**	**22763**	**10.0**	**6991**	**30.71**	973
मध्यप्रदेश	2065	1504	404	19.6	157	38.9	31392	25453	5444	17.3	1642	30.16	1420
राजस्थान	250	221	29	11.6	11	37.9	9048	8300	715	7.9	266	37.2	3519
बिहार	54	39	15	27.8	2	13.3	8162	7846	316	3.9	75	23.73	15015
उत्तरप्रदेश	10597	8630	1959	18.5	1164	59.4	39749	36694	2998	7.5	1529	51	275
दिल्ली	436	304	132	30.3	42	31.8	9763	9054	704	7.2	294	41.76	2139
तमिलनाडु	73	62	11	15.1	8	72.7	5826	4345	1481	25.4	634	42.81	7881
प. बंगाल	144	96	30	20.8	7	23.3	15538	14772	766	4.9	78	10.18	10690
कर्नाटक	63	61	2	3.2	0	0.0	6947	6340	607	8.7	76	12.52	10927
गुजरात	830	762	68	8.2	40	58.8	12035	11729	295	2.5	34	11.53	1350
आँध्रप्रदेश	394	314	77	19.5	7	9.1	3980	2887	1012	25.4	113	11.17	910
झारखंड	51	45	6	11.8	1	16.7	953	791	162	17.0	45	27.78	1769
हरियाणा	324	296	28	8.6	6	21.4	3773	2948	825	21.9	150	18.18	1065
महाराष्ट्र	3999	3702	263	6.6	37	14.1	37125	35189	1847	5.0	399	21.6	828

बच्चों के प्रति अपराध, लंबित प्रकरण, परीक्षण शेष, परीक्षण पूर्ण होने की दर और दोषी साबित होने (वर्ष 2001 – 2016) वर्ष समूह में

भारत और राज्य	2001						2004					
	कुल लंबित प्रकरण - पूर्व शेष और नए दर्ज	वर्ष के अंत में लंबित	परीक्षण पूर्ण	परीक्षण पूर्ण होने की दर	सजा तय वाले प्रकरण	सजा होने की दर - %	कुल लंबित प्रकरण - पूर्व शेष और नए दर्ज	वर्ष के अंत में लंबित	परीक्षण पूर्ण	परीक्षण पूर्ण होने की दर	सजा तय वाले प्रकरण	सजा होने की दर - %
भारत	**21233**	**17768**	**3231**	**15.2**	**1531**	**47.4**	**37602**	**30316**	**6379**	**17.0**	**2303**	**36.1**
मध्यप्रदेश	2065	1504	404	19.6	157	38.9	7541	5391	1893	25.1	602	31.8
राजस्थान	250	221	29	11.6	11	37.9	463	401	62	13.4	15	24.2
बिहार	54	39	15	27.8	2	13.3	129	120	9	7.0	1	11.1
उत्तरप्रदेश	10597	8630	1959	18.5	1164	59.4	10486	8669	1783	17.0	1069	60.0
दिल्ली	436	304	132	30.3	42	31.8	1160	903	257	22.2	69	26.8
तमिलनाडु	73	62	11	15.1	8	72.7	406	315	91	22.4	28	30.8
प. बंगाल	144	96	30	20.8	7	23.3	189	126	41	21.7	4	9.8
कर्नाटक	63	61	2	3.2	0	0.0	267	204	61	22.8	3	4.9
गुजरात	830	762	68	8.2	40	58.8	2137	1970	152	7.1	37	24.3
आँध्रप्रदेश	394	314	77	19.5	7	9.1	2113	1499	539	25.5	75	13.9
झारखंड	51	45	6	11.8	1	16.7	168	143	24	14.3	6	25.0
हरियाणा	324	296	28	8.6	6	21.4	408	188	220	53.9	51	23.2
महाराष्ट्र	3999	3702	263	6.6	37	14.1	7544	6900	605	8.0	101	16.7

भारत और राज्य	2007						2010					
	कुल लंबित प्रकरण - पूर्व शेष और नए दर्ज	वर्ष के अंत में लंबित	परीक्षण पूर्ण	परीक्षण पूर्ण होने की दर	सजा तय वाले प्रकरण	सजा होने की दर - %	कुल लंबित प्रकरण - पूर्व शेष और नए दर्ज	वर्ष के अंत में लंबित	परीक्षण पूर्ण	परीक्षण पूर्ण होने की दर	सजा तय वाले प्रकरण	सजा होने की दर - %
भारत	**52686**	**43185**	**9052**	**17.18**	**3313**	**36.6**	**72351**	**59221**	**12543**	**17.34**	**4334**	**34.55**
मध्यप्रदेश	10947	7985	2713	24.78	1036	38.2	13945	9987	3499	25.09	1384	39.55
राजस्थान	1797	1669	126	7.012	46	36.5	3015	2758	255	8.46	103	40.39
बिहार	403	361	35	8.685	13	37.1	2262	2118	144	6.37	35	24.31
उत्तरप्रदेश	10024	8032	1963	19.58	1118	57.0	9908	7530	2378	24.00	1456	61.23
दिल्ली	2539	2088	451	17.76	166	36.8	3681	3190	491	13.34	198	40.33
तमिलनाडु	669	468	201	30.04	47	23.4	1345	1005	340	25.28	116	34.12

प. बंगाल	472	341	105	22.25	16	15.2	1175	1015	142	12.09	44	30.99
कर्नाटक	560	430	126	22.5	12	9.5	891	735	155	17.40	23	14.84
गुजरात	3599	3278	307	8.53	73	23.8	4798	4471	320	6.67	26	8.13
आँध्रप्रदेश	2689	1818	819	30.46	136	16.6	3794	2488	1260	33.21	46	3.65
झारखंड	224	152	69	30.8	17	24.6	170	80	84	49.41	3	3.57
हरियाणा	565	468	97	17.17	34	35.1	669	397	272	40.66	67	24.63
महाराष्ट्र	11455	10781	654	5.709	82	12.5	15900	14772	1117	7.03	92	8.24
भारत और राज्य	**2013**						**2016**					
	कुल लंबित प्रकरण - पूर्व शेष और नए दर्ज	**वर्ष के अंत में लंबित**	**परीक्षण पूर्ण**	**परीक्षण पूर्ण होने की दर**	**सजा तय वाले प्रकरण**	**सजा होने की दर - %**	**कुल लंबित प्रकरण - पूर्व शेष और नए दर्ज**	**वर्ष के अंत में लंबित**	**परीक्षण पूर्ण**	**परीक्षण पूर्ण होने की दर**	**सजा तय वाले प्रकरण**	**सजा होने की दर - %**
भारत	**114295**	**97602**	**15890**	**13.9**	**4916**	**30.9**	**227739**	**204100**	**22763**	**10.0**	**6991**	**30.71**
मध्यप्रदेश	18559	13866	4063	21.9	1366	33.6	31392	25453	5444	17.3	1642	30.16
राजस्थान	4683	4065	609	13.0	240	39.4	9048	8300	715	7.9	266	37.2
बिहार	4620	4101	513	11.1	117	22.8	8162	7846	316	3.9	75	23.73
उत्तरप्रदेश	18067	16024	2040	11.3	1177	57.7	39749	36694	2998	7.5	1529	51
दिल्ली	4956	4153	803	16.2	259	32.3	9763	9054	704	7.2	294	41.76
तमिलनाडु	2242	1700	542	24.2	164	30.3	5826	4345	1481	25.4	634	42.81
प. बंगाल	3772	3539	222	5.9	17	7.7	15538	14772	766	4.9	78	10.18
कर्नाटक	1549	1158	383	24.7	28	7.3	6947	6340	607	8.7	76	12.52
गुजरात	7108	6577	524	7.4	123	23.5	12035	11729	295	2.5	34	11.53
आँध्रप्रदेश	5017	3783	1138	22.7	96	8.4	3980	2887	1012	25.4	113	11.17
झारखंड	128	76	47	36.7	2	4.3	953	791	162	17.0	45	27.78
हरियाणा	1758	1146	612	34.8	123	20.1	3773	2948	825	21.9	150	18.18
महाराष्ट्र	22262	21255	994	4.5	119	12.0	37125	35189	1847	5.0	399	21.6